UPLK060018062021

IN THE COURT OF
A.C.J (JD) COURT NO.36 AT ,Lucknow
Presided Over by SHIVAM YADAV

Civil Suit/1350/2021

दिनांक–22.08.2026

1. **लक्षिमन** आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र श्री बुद्धा, निवासी–शिवगुलाम खेड़ा, ग्राम परवर पश्चिम, तहसील व थाना मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।
2. **श्रीमती भान कुमारी** आयु लगभग 42 वर्ष पत्नी श्री लक्षिमन, निवासी– शिवगुलाम खेड़ा, ग्राम परवर पश्चिम, तहसील व थाना मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

.....**वादीगण**

बनाम

1. **बिदेश** आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र श्री लक्षिमन, निवासी–शिवगुलाम खेड़ा, ग्राम परवर पश्चिम, तहसील व थाना मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

.....**प्रतिवादी**

एक पक्षीय निर्णय

1. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है।

2. वाद पत्र के कथनानुसार वादी लक्षिमन उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है जो कि प्रतिवादी बिदेश का पिता हैं। प्रतिवादी बिदेश का चाल चलन ठीक नहीं है व वादी जो कि उसका पिता है व वादी की पत्नी श्रीमती भान कुमारी उसकी माता हैं। प्रतिवादी बिदेश द्वारा अपने माता–पिता से गाली–गलौज की जाती है व मार–पीट भी की जाती है। प्रतिवादी बिदेश शराबी प्रवृत्ति का भी है, इसने कई बार वादी लक्षिमन व उसकी पत्नी भान कुमारी

22/08/26
SHIVAM YADAV
ACJ (J.D.) COURT NO: 36 LUCKNOW

P.T.O

की हत्या करने की भी कोशिश की है। प्रतिवादी बिदेश अपनी जिम्मेदारियों को समझने में असमर्थ है तथा किसी भी समय वादी व वादी की पत्नी की हत्या भी की जा सकती है । वादीगण की जायदाद को प्रतिवादी बिदेश द्वारा नष्ट–भ्रष्ट व बरबाद करने की भी कोशिश की जा रही है। वादीगण के मना करने पर उक्त वादी के पुत्र बिदेश द्वारा गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है तथा किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। वादीगण एंव वादी की पत्नी भान कुमारी द्वारा प्रतिवादी को समझने का बहुत प्रयास किया गया किन्तु कोई भी हल नहीं निकला, मजबूर होकर वादी द्वारा समाचार पत्र में भी अपने पुत्र को बेदखल करने के सम्बन्ध में प्रकाशित भी कराया गया कि वादी (पिता) द्वारा अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से प्रतिवादी (पुत्र) बिदेश को बेदखल करते हैं। प्रतिवादी (पुत्र) द्वारा किये गये किसी भी लेन–देन के सम्बन्ध में जिम्मेदारी स्वयं पुत्र की होगी। वादी से कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा। प्रतिवादी (पुत्र) बिदेश द्वारा दिनाक 21/06/2021 को वादी लक्षिमन की व वादी की पत्नी भान कुमारी को जायदाद हड़पने की नीयत से काफी मारा–पीटा तथा उनकी हत्या करने की कोशिश की जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना–मोहनलालगंज में भी दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना–मोहनलालगंज की पुलिस द्वारा कहा गया कि आप कोर्ट द्वारा आदेश लेकर आएं तभी हम कुछ कर सकते हैं। उक्त घोषणात्मक वाद का कारण दिनाक 21/06/2021 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी (पुत्र) द्वारा वादी (लक्षिमन) को व लक्षिमन की पत्नी भान कुमारी से मार पीट की गई व हत्या करने की कोशिश की गयी। उक्त वाद सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है। उक्त वाद वास्ते घोषणात्मक है जिसका मूल्यांकन वाद रु.100,000 (एक लाख रूपये मात्र) है। जिस पर कोर्ट फीस रू 200/– अदा की जा रही है। वादीगण न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष निम्नलिखित अनुतोष की याचना करता है:– (क) यह कि वादी (पिता) के पक्ष में प्रतिवादी (पुत्र) के विरूद्ध घोषणात्मक वाद द्वारा डिक्री पारित की जाय कि वादी की समस्त चल–अचल सम्पति से एंव प्रतिवादी के किसी भी प्रकार के लेन देन के सम्बन्ध में एंव प्रतिवादी द्वारा अपनी जिम्मेदारी समझ न पाने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी को समस्त प्रकार से बेदखल किया जाता है। (ख) यह कि अन्य जो भी उचित अनुतोष वादी द्वारा बेदखली के सम्बन्ध

27/08/26

SHIVAM YADAV
ACJ (J.D.) COURT NO: 36 LUCKNOW

P.T.O

में प्रतिवादी के विरूद्ध उचितं समझा जाये न्यायहित में आदेश पारित किया जाये। (ग) यह कि वाद का हर्जा-खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए।

3. पर्याप्त तामिला के बावजूद प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्यवाही प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.08.2025 को एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

4. वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को एवं साक्षी अनिल कुमार को परिक्षित कराया गया हैं, जिसमें उन्होंने वाद पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया है।

5. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया।

6. वादीगण द्वारा मुख्यत: कथन किया गया है कि प्रतिवादी, वादीगण का पुत्र हैं। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी उन्हें प्रताड़ित करता हैं तथा वादीगण की सम्पत्ति को नष्ट व बरबाद करने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में इस आशय का घोषणात्मक अनुतोष मांगा गया है कि प्रतिवादी को वादीगण की समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल किया जाए। उक्त के संबंध में **धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963** उल्लेखनीय हैं जिसके अनुसार:-

"Section 34. Discretion of court as to declaration of status or right.

Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person denying, or interested to deny, his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief:

Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so.

Explanation.--A trustee of property is a "person interested to deny" a title adverse to the title of some one who is not inexistence, and for whom, if in existence, he would be a trustee."

उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी विधिक अधिकार या संपत्ति का हकदार है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वाद योजित कर सकता है जो उसके ऐसे अधिकार या हक से इनकार करता है या इनकार करने में रुचि रखता है। अत:

22/08/26

SHIVAM YADAV
ACJ (J.D.) COURT NO: 36 LUCKNOW

P.T.O

घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादी को अपने उस विधिक अधिकार य विधिक चरित्र को सिद्ध करना आवश्यक है जिसके संबंध में वह घोषणा चाहता है। प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा मात्र सामान्य कथन किया गया है कि वे विभिन्न सम्पत्तियों के स्वामी हैं व उन्होनें प्रतिवादी को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा उक्त सम्पत्ति किस प्रकार अर्जित की गई है तथा उसके संबंध उनका स्वामित्व किस आधार पर है। विशेष रूप से, यदि कोई सम्पत्ति पैतृक अथवा संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है तो उसके संबंध में मात्र यह घोषणा कर देना कि पुत्र को उससे वंचित कर दिया गया है, अपने आप में उसके विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं करता । दूसरी ओर, यदि कोई सम्पत्ति वादीगण की स्व-अर्जित सम्पत्ति है, तब भी वादीगण को पहले यह सिद्ध करना आवश्यक है कि संबंधित सम्पत्ति वास्तव में उनकी स्व-अर्जित एवं स्वतंत्र सम्पत्ति है। वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई स्वामित्व अभिलेख अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि कथित समाचार पत्र में वास्तव में ऐसी कोई सूचना प्रकाशित हुई थी। मात्र वादपत्र में समाचार पत्र में प्रकाशन का उल्लेख कर देने से उसका प्रकाशन एवं उसमें वर्णित कथन स्वतः सिद्ध नहीं हो जाते।

7. यहां पर माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यस्था ***श्रीमती इंद्र शर्मा बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल एस० के० शर्मा 2005 (4) AWC 3122*** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भले ही वाद एक पक्षीय रूप से अग्रसारित हो, वादी द्वारा अपने वाद को साबित किये बिना एक पक्षीय अज्ञप्ति वादी पक्ष में नहीं पारित की जा सकती है। प्रस्तुत वाद में वादीगण एक पक्षीय रूप से भी अपने वाद के कथनों को साबित करने में असफल रहें है। अतः वादीगण का वाद निरस्त किए जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद पत्र में किये कथनों को साबित कर पाने में पूर्णतया विफल रहें है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय रूप से निरस्त किये जाने योग्य है।

27/08/26

SHIVAM YADAV
ACJ (J.D.) COURT NO: 36 LUCKNOW

P.T.O

आदेश

वादीगण का वाद एक पक्षीय रूप से निरस्त किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–22.08.2026

Shivam Yadav 22/08/26

(शिवम यादव)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट नंबर-36, लखनऊ
UP4726

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–22.08.2026

Shivam Yadav 22/08/26

(शिवम यादव)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट नंबर-36, लखनऊ
UP4726

P.T.O